राजस्थान सरकार

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला दौसा(राज.)

प्रकरण संख्या 09/2021 **पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)**

उनवान

सुद्‌याराम पुत्र गंगाधर नि. बैरवा ढाणी पातरखेडा पो. महूखेडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा जि.–दौसा
.... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा हाल बैजूपाडा जिला दौसा।
..... प्रतिवादी

उपस्थित :::–श्री लीलाराम मीना, वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः 08.12.2021**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) पेश कर निवेदन किया गया कि कि ग्राम बैरवा ढाणी पातरखेडा पटवार हल्का महूँखुर्द भु.अ.नि. क्षेत्र गोलाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा जिला दौसा के खाता संख्या नया 84 पुराना 89 के आराजी खसरा संख्या 444, 446 से 449, 451 से 453, 65 से 66 किता 10 रकबा 2.20 हैक्टे., खाता संख्या नया 71 पुराना 74 के आराजी खसरा संख्या 434 से 438 तक किता 05 रकबा 0.56 हैक्टे. खाता संख्या नया 121 पुराना 121 के आराजी खसरा संख्या 160 से 164 तक किता 5 रकबा 1.61 हैक्टे.,खाता संख्या नया 72 पुराना 75 के आराजी खसरा संख्या 445, 450 किता 02 रकबा 0.05 हैक्टे., अविभाजित भूमि है जो वादी को विरासत में प्राप्त हुयी है । जिसे आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया को वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वादी का नाम खाता संख्या नया 84, 72, 71, 121, राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सहवन से गांव के बोलते नाम छोटेलाल पुत्र गंगाधर दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि वास्तविक नाम सुट्‌टया पुत्र गंगाधर है। उक्त लिपिकीय त्रुटि आज दिनांक तक अनवरत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत महूँखुर्द के लिए पंजिबद्ध किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , अन्य दस्तावेजों, प्रचलित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार

गलतियों का शुद्धिकरण – "भूमि लेख अधिकारी किसी भी समय, **किसी लिपिकीय गलती** या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या [illegible] करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध [illegible] स्वीकार [illegible] या [illegible] कोई राजस्व अधिकारी किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.10.10 16:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दिया गया हों।"

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा लिखा गया है कि भूमि मुतदाविया हिन्दू मुंश्तर्का खानदान की अविभाजित भूमि है जो वादी को विरासत में प्राप्त हुयी है। भूमि मुतदाविया को वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा खोले गए वारिस के नामान्तरण में वादी का सुट्टया के स्थान पर छोटेलाल दर्ज कर दिया । इससे यह स्पष्ट है कि उक्त अशुदी नामान्तरण से संबंधित है ।चूंकि उक्त प्रकरण में त्रुटि नामान्तरण सें संबंधित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत शुद्धी योग्य नही होने के कारण इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 केम्प मुकाम ग्राम पंचायत महूँखुर्द में खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, मंडावर
प्र.गां.सं. अभियान 2021
शिविर ग्राम पंचायत महूखुर्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.10.10 16:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner